न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

अधिग्रहण वाद संख्या– 87 / 2010–11
राज्य बनाम रवि चौधरी वगैरह।

आदेश

04.3.2015

प्रस्तुत अधिग्रहण वाद रवि चौधरी वगैरह के विरूद्ध दाखिल किया गया है।

मुखिया, ग्राम पंचायत– पुरीख द्वारा छः क्वींटल पचास किलो चावल दिनांक– 06.05.2010 को पकड़ा गया। अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा के निदेश पर प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, सत्तरकटैया द्वारा जप्त चावल की जॉच कर बिहरा थाना में प्राथमिकी संख्या– 50/10 दिनांक– 07.05.2010 दर्ज करायी गयी है तथा जप्त चावल के अधिग्रहण का प्रस्ताव दिया गया है। प्राप्त अधिग्रहण प्रस्ताव पर इस कार्यालय के पत्रांक 785–2 दिनांक– 19.05.2010 द्वारा रवि चौधरी, पिता– लक्ष्मी चौधरी, साकिन– पुरीख, योगेन्द्र पासवान, पिता– तलसी पासवान, जन वितरण प्रणाली दूकानदार, वार्ड नं0–08, पुरीख एवं लाल चौधरी, पिता– छेदी चौधरी दूकानदार, साकिन– सुखपुर, थाना व जिला– सुपौल के नाम निर्गत नोटिस तामिला हेतु भेजा गया।

लालेश्वर चौधरी उर्फ लाल चौधरी ने दिनांक– 25.06.2010 के अपने कारण–पृच्छा में अंकित किया है कि वे गॉव में दूकान चलाते हैं तथा कृषकों से गेहूँ एवं चावल की खुदरा खरीद भी करते हैं। वे संजय चौधरी उर्फ रवि चौधरी, साकिन– पुरीख तथा, थाना– बिहरा के पास पहुँचे तथा चावल खरीदने की बात की। संजय चौधरी ने बतलाया कि कुछ चावल उनके खेत का उपज है तथा कुछ दूकान में खरीदा हुआ है। इस तरह 13 बोरा में साढे छः क्वींटल चावल मो0 2100.00 भुगतान कर खरीदा, जिसे भाड़े के टेम्पो पर लादा जा रहा था। रास्ते में पुरीख के मुखिया ने जबरन चावल को यह कहकर कि यह जन वितरण प्रणाली दूकान का चावल है उतरवा लिया। मुखिया ने प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को सूचना दी, जिसपर प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, सत्तरकटैया ने बिहरा थाना में 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज करवा दिया। वरीय पदाधिकारी के जॉच एवं पर्यवेक्षण में केस असत्य (सूत्रहीन) पाया गया। प्रखण्ड आपूर्ति निरीक्षक द्वारा जन वितरण प्रणाली दूकानदार श्री योगेन्द्र पासवान के दूकान की जॉच की गयी तथा पंजी में प्रविष्टि के अनुसार सामग्री यथावत पायी गयी मुखिया श्री जयशंकर सिंह, पंचायत प्रतिद्वन्दी अपने निहित स्वार्थ के लिए श्री योगेन्द्र पासवान को फँसाया है। लालेश्वर चौधरी ने आगे कहा है कि वे गरीब, बेरोजगार खुदरा क्रेता हैं तथा उनका पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। जप्त चावल पंचायत भवन में रखा गया है, जिसके खराब होने की पूर्ण संभावना

है, जिससे उन्हें काफी क्षति हो सकती है। अग्रतर इनका कहना है कि चावल पर कोई प्रतिबंध नहीं है इसलिए उक्त जप्त चावल मुक्त करते हुए इन्हें अधिग्रहण वाद से मुक्त किया जाय।

रवि चौधरी उर्फ संजय चौधरी ने दिनांक– 25.06.2010 के अपने कारण–पृच्छा में अंकित किया है कि श्री कमल किशोर झा, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, सत्तरकटैया द्वारा थाना में प्राथमिकी संख्या– 50/2010 रवि चौधरी, लालेश्वर चौधरी, टेम्पू चालक टेम्पू नं0– BR-5A-2254 के विरूद्ध दर्ज करायी गयी है। पुलिस उपाधीक्षक के सुपरविजन में केस गलत (सूत्रहीन) पाया गया है। 13 बोरा में 50 किलो की दर से चावल मुखिया श्री जयशंकर सिंह द्वारा पकड़ा गया था। अग्रतर इनका कहना है कि वे एक किसान हैं तथा तीन बीघा खेत में वे धान की खेती करते हैं। इसके अलावा वे खुदरा किराना दूकान भी चलाते हैं। उनके खेत का उपजा धान से घर की स्त्रियॉं चावल तैयार करती हैं। इन्होंने 9100.00 में 13 बोरा चावल लालेश्वर चौधरी उर्फ लाल चौधरी को को बेचा था। मुखिया चुनाव में मतभेद के कारण वर्त्तमान मुखिया द्वारा गलत केस में इन्हें फॅसाया गया है। जप्त चावल किसी जन वितरण प्रणाली दूकान का नहीं है। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी ने योगेन्द्र पासवान, जन वितरण प्रणाली दूकानदार के दूकान की जॉच की थी तथा भंडार पंजी सही पाया था। पुलिस पदाधिकारी द्वारा गवाहों से लिये गये बयान में केस गलत (सूत्रहीन) पाया गया। चावल पर कोई प्रतिबंधन नहीं है। इन्हें माप–तौल विभाग से अनुज्ञप्ति प्राप्त है। वे जमीन का कागजात जो इनके पिता के नाम है भी सौंपने को तैयार है। जप्त चावल खुदरा गरीब क्रेता लालेश्वर चौधरी के पक्ष में मुक्त किया जाना चाहिए। अग्रतर इन्होंने इस कार्यवाही से मुक्त करने की भी याचना की है।

योगेन्द्र पासवान, जन वितरण प्रणाली दूकानदार पुरीख ने दिनांक– 16.09.2014 के कारण –पृच्छा मे अंकित किया है कि 6 क्वींटल 50 किलो चावल जो मुखिया, ग्राम पंचायत, पुरीख द्वारा पकड़ा गया तथा, जिस पर 7 ई०सी० एक्ट के तहत कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है से उन्हें कोई लेना–देना नहीं है। मुखिया पुरीख अथवा अन्य ग्रामीणों का उनके विरूद्ध कभी कोई शिकायत नहीं रही है। मुखिया, पुरीख द्वारा की गयी शिकायत सरासर झूठा तथा बेबुनियाद हैं क्योंकि उनके भंडार की उस समय जॉच भी की गयी थी एवं चावल का नमूना लेकर जप्त चावल से मिलान भी किया गया था, मिलान नहीं पाया गया। अन्ततः इन्होंने तथ्यहीन आरोप से मुक्त करने की याचना की है।

राज्य की ओरसे विशेष लोक अभियोजक को सुना। प्रतिपक्षी अनुपस्थित।

अभिलेख तथा इसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। प्रतिपक्षीगण जो पुलिस अनुसंधान या जन वितरण प्रणाली दूकान के स्टॉक जाँच का उल्लेख किया है के समर्थन में साक्ष्य स्वरूप कोई कागजात दाखिल नहीं किया है। जप्त चावल खराब हो सकता है।

उल्लिखित परिपेक्ष्य में अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा को निदेशित किया जाता है कि जप्त चावल ए०पी०एल० की दर पर जन वितरण प्रणाली दूकान के माध्यम से बिक्री कराकर उचित शीर्ष अन्तर्गत कोषागार में अविलम्ब जमा करवा दें। उक्त मद खाद्यान्न के आदेश दि० 17-5-10 को दिया गया है।

इस निदेश के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

समाहर्त्ता,
सहरसा।

समाहर्त्ता,
सहरसा।
04.3.2015

ज्ञापांक 511-2/जिला विधि, सहरसा, दिनांक– 10 मार्च, 2015 ई.।

प्रतिलिपि– अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिले के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
7.3.15